

(1)

सिविल अपील क्रमांक: 44 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 44 / 14

संस्थापन दिनांक 15.03.2011

फाइलिंग नंबर-230303001122011

1. रामलखन पुत्र शिवनाथ आयु 35 साल
 2. श्रीमती गंगाबाई पत्नी रामलखन आयु 33 साल
 3. छविराम पुत्र शिवनाथ आयु 30 साल
- जाति जाटव निवासी धमसा का पुरा
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----अपीलार्थी / वादीगण

बनाम

1. गुरुचरनसिंह आयु 65 साल
2. कृपालसिंह आयु 45 साल पुत्र अमरसिंह
जाति सिख निवासी ग्राम धमसा का पुरा
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
3. भजनसिंह पुत्र केहरसिंह आयु 45 साल
जाति सिख निवासी ग्राम सीसोन का पुरा
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
4. रंजीतसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह आयु 41 साल
जाति सिख निवासी ग्राम सीसोनकापुरा
मजरा तुकेडा परगना गोहद
5. दस्यु पुत्र भजनसिंह आयु 45 साल जाति
सिख निवासी रायतपुरा परगना गोहद
6. म0प्र0 शासन द्वारा :-
श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म0प्र0
7. केहरसिंह पुत्र भजनसिंह आयु 65 साल
जाति सिख निवासी ग्राम चक तुकेडा परगना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क0-2, 7 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क0-3, 4 द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क0-6 द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क0-1, 5 पूर्व से एकपक्षीय ।

न्यायालय—श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड
द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-69ए/2008 ई.दी. में पारित निर्णय
दिनांक 03.02.2011 से उत्पन्न सिविल अपील

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक **01 अप्रैल 2015** को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 69ए/2008 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 03.02.2011 से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादीगण के वाद को निरस्त किया गया है ।

02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि भूमि सर्वे क्रमांक-135 रकवा 0.34, 386 रकवा 0.20 स्थित बांके ग्राम सर्वा परगना गोहद विवादित है जिसे वादीगण को प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी के समक्ष अधिकारियों द्वारा भूमिस्वामी स्वत्व पर दिनांक 11.12.03 को पट्टे पर दी थी तभी से वह लोग उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं। तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी क्र0-1 लगायत 5 का कोई संबंध सरोकार नहीं है बल्कि वह बड़े किसान होने से वादीगण की खेती को नष्ट कर देते हैं और फसल नहीं होने देते हैं। इस संबंध में वादीगण ने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की किन्तु वह यह धौंस देते हैं कि वह इसी तरह से फसल को नष्ट करते रहेंगे। तथा दिनांक 10.08.06 को उन्होंने वादी/अपीलार्थीगण की बोई हुई तिली की फसल नष्ट कर दी। और कहा कि अगर इस जमीन पर अब खेती की तो तुम्हारी फसल को नष्ट कर देंगे और जान से मारने की धमकी दी। तथा प्रतिवादी क्र0-7 का भी उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है जिसे साजिशान जोडा गया है। वादीगण शासकीय पट्टेदार हैं तथा शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है। अतः अपीलार्थी/वादीगण ने अपने आधे हिस्से तथा वादी क्र0-3 के आधे हिस्से के संबंध में स्वत्व घोषणा की जाने एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी अपीलार्थी/वादीगण के हित में जारी किये जाने कि प्रतिवादीगण कोई बाधा उत्पन्न न करें।

4. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र0-1,2,6 द्वारा एकपक्षीय रहने से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।

5. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र0-3 व 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि कभी भी अपीलार्थी/वादीगण को पट्टे पर नहीं दी गई। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र0-3 का 30 साल से अधिक समय से निरंतर व निर्विघ्न आधिपत्य अपीलार्थी/वादीगण एवं प्रतिवादी क्र0-6 की जानकारी में चला आ रहा है जिस पर उनकी खेती हो रही है। तथा राजस्व

कर्मचारियों से साजिश करके गलत नाम इन्द्राज करा लिया गया है न ही उनका कोई स्वत्व है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-6 को भी कोई पट्टा नहीं दिया गया है। प्रतिवादीगण के पिता की ओर से अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के यहाँ अपील की गई जो संचालित है। न ही उन्होंने कभी अपीलार्थी/वादीगण की फसल नष्ट की है। न ही फसल नष्ट करने की कोई धौंस दी है। तथा वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-7 को पक्षकार नहीं बनाया है।

6. विशेष आपत्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि तथाकथित अवैध पट्टा सर्वे क्रमांक-3066/3 रकबा 0.65 है० का होकर प्र०क्र०-29/01-02अ-19 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश से संबंधित है। उक्त पट्टा विवादित सर्वे नंबरान का नहीं है। इस आदेश में हुई अनियमितताओं के संबंधमें कलैक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से जांच कराई गई और जांच में अनियमितताएँ पाई गई जिस तथ्य को वादी ने छुपाया है। वादीगण द्वारा दिनांक 11.12.03 के आधार पर जो विवादित भूमि के स्वत्व प्राप्त होने के अभिवचन किये हैं उक्त कलैक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.13 को न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्र०क्र०-335/05-06 अपील माल गुरुचरनसिंह आदि बनाम रामलखन आदि में आदेश दिनांक 21.07.06 को पारित कर कलैक्टर के उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया है जिसकी सूचना वादीगण को है। चूंकि वादी/अपीलार्थीगण को भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई थी तथा एक निश्चित अवधि तक उसे स्वत्व प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसी दशा में प्रस्तुत दावा धारा-257 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत भी बाधित है। तथा वादी/अपीलार्थीगण का वाद संचालनयोग्य नहीं है अतः दावा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

07. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-5 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया है। तथा प्रतिवादी/प्रतिवादी क्र०-7 ने अपने जवाब दावे में व्यक्त किया है कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने अवैधानिक रूप से अपना नाम राजस्व कागजातों में करा लिया है। तथा उसका कोई कब्जा नहीं है। न ही उनकी खेती हुई है। उस पर प्रतिवादी क्र०-7 का कब्जा है। तथा फसल नष्ट करने वाली बात वादी/अपीलार्थीगण ने गलत लिखी है। मूल्यांकन कम किया है तथा कोई वाद कारण भी पैदा नहीं हुआ है। तथा अतिरिक्त आपत्ति में यह भी व्यक्त किया है कि वादी/अपीलार्थीगण को जो शासकीय पट्टा प्रदान किया गया था वह निरस्त किया जा चुका है। अतः वादी/अपीलार्थीगण का दावा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

08. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-7 की ओर से एक आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उनके द्वारा सर्वे नंबर-135 मौजा सर्वा पर पट्टे के आधार पर दावा किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त पट्टों को न्यायालय कलैक्टर ने प्र०क्र०-23/2003-04 के आदेश दिनांक 10.10.08 को निरस्त कर दिया है जिसकी निगरानी न्यायालय आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना के यहाँ प्र०क्र०-56/2007-2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.10.10 के द्वारा भी पट्टा निरस्ती का कलैक्टर महोदय का आदेश स्थिर रखा है। उक्त आदेश का अमल राजस्व न्यायालय में हो गया है जिसकी जानकारी

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण को नहीं थी। जानकारी होने पर उक्त आदेश के अमल की खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई है। उक्त अमल की उक्त खसरा की नकल अधीनस्थ न्यायालय में डिक्री पारित होने के समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी इसलिये अपील में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा उक्त खसरा की नकल वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक-135 की है जो प्रकरण के वाद प्रश्नों के न्यायपूर्ण निराकरण के लिये आवश्यक है तथा न्यायदान में सहायक है। अतः चालू खसरा वर्ष 2013-14 की सर्वे नंबर-135 की खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने का निवेदन किया है।

09. वादी/अपीलार्थीगण ने उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदन गलत व अवैधानिक होकर काबिल निरस्ती है। वादी/अपीलार्थीगण के हक में विधिवत पट्टे हुए थे। और पट्टे दिनांक से ही वह उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं। मौके पर उनके द्वारा बोई हुई फसल खड़ी हुई है। राजस्व अभिलेख में जो पट्टा निरस्ती का जो उल्लेख किया है कि उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उन्हें बिना पक्षकार बनाये व सूचना दिये इन्द्राज किया है। तथा इन्द्राज किस आदेश से किया है उसकी नकल पेश नहीं की है। तथा राजस्व अभिलेख के इन्द्राज के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.08.06 को दावा पेश किया था। दावे के समय अपीलार्थी का नाम उक्त भूमि पर भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज था। यदि बीच में कोई आदेश पारित किया गया हो तो उसमें अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण प्रस्तुत दस्तावेजों में खसरा की नकलें इस स्टेज पर वगैर आदेश के प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इसलिये प्रस्तुत आवेदन पत्र कानूनन विचार योग्य न होने से निरस्त किया जावे।

10. उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

- 1- क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
- 2- क्या अपील स्वीकार की जाकर वादी/अपीलार्थीगण का वाद डिक्री किए जाने योग्य है ?
- 3- क्या, वादी/अपीलार्थीगण का आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अंतर्गत दिनांकित-10.11.14 प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों में स्वीकार योग्य हैं ? यदि हां तो प्रभाव ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

11. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनर्वाच्य न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा

रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया। विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया।

12. सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 27 धारा 151 सीपीसी का आवेदन का निराकरण किया जाना उचित होगा। अपील स्तर पर प्रत्यर्थी क्र०-7 की ओर से आवेदनपत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज पेश कर उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की गई है, जिसका जबाब में विरोध किया गया है।

13. आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में कोई पक्षकार मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सकता है, लेकिन उसमें जो शर्त है उसके मुताबिक ऐसे दस्तावेजों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य करने से इंकार किया हो अथवा पक्षकार उसे सम्यक तत्परतापूर्वक बरतने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश ना कर सका हो। तीसरा अपीलीय न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई अपेक्षा की गई हो और यदि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तो उसके कारणों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है।

14. विचाराधीन अपील में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आई०ए०नंबर-1 का आवेदन पत्र प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-7 की ओर से पेश करते हुए उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की गई है। जो दस्तावेज पेश किया गया है वह वर्ष 2013-14 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि होकर विवादित भूमि सर्वे नंबर-135 रकवा 0.34 है० से संबंधित है जिसे इस आधार पर ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की गई है कि आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष विचाराधीन प्र०क्र०-56/07-08 निगरानी में दिनांक 19.10.10 के द्वारा पट्टा निरस्ती के कलैक्टर के आदेश को स्थिर रखा गया है और उसका अमल राजस्व अभिलेख में हो गया है। मूल अपील वादी/अपीलार्थीगण रामलखन आदि की ओर से की गई है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-7 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिदावा अवश्य किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री के विरुद्ध कोई प्रति अपील या प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शंस) नहीं किये गये हैं। इसलिये अपील में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों का प्रमाण भार वादी/अपीलार्थीगण पर ही है। इसलिये अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये उक्त खसरा अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि को ग्रहण न किये जाने की दशा में भी गुण-दोषों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्र०डी०-14 एवं 15 के आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ साक्ष्य में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-7 की ओर से पेश की गई हैं जिनका वादी/अपीलार्थीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदन को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फलतः आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन आई०ए०नंबर-1 का वाद विचार अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

15. जहाँ तक मूल अपील का प्रश्न है, अपीलार्थी/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया गया है कि वादी/अपीलार्थीगण को सर्वे क्रमांक-135 रकवा 0.34 एवं सर्वे क्रमांक-386 रकवा 0.20 है0 स्थित ग्राम सर्वा तहसील गोहद शासन द्वारा विधिवत पट्टे पर दी गई थी जिसका कलैक्टर द्वारा विनिमय किया गया था और वादी/अपीलार्थीगण शासकीय पट्टेदार हैं। उनसे पट्टा निरस्त नहीं हुआ है। बल्कि चरनोई भूमि से विनिमय होकर काबिल कास्त की गई थी। और राजस्व न्यायालयों से उनके पक्ष में आदेश हुए थे तथा पट्टा कमिशनरी तक बहाल रहा है और कभी निरस्त नहीं हुआ है। और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि शासकीय पट्टेदार का हित संरक्षित होना चाहिए। तथा अपीलार्थी/वादीगण वास्तविक काबिज कास्त है। अभी भी उनका राजस्व अभिलेख में नाम चल रहा है। केहरसिंह एवं अन्य प्रतिवादीगण का कोई भी कब्जा व कास्त नहीं है। इसलिये वादीगण के पक्ष में चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रदान की जावे और उन्हें पट्टे के आधार पर स्वत्व व आधिपत्यधारी होना भी घोषित किया जाये।

16. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह बताया है कि अपीलार्थी/वादीगण के द्वारा जो सहायता स्वत्व संबंधी चाही गई है उनके वे किसी भी प्रकार से पात्र नहीं हैं क्योंकि वादीगण ने पट्टेदार के आधार पर दावा किया है और शासकीय पट्टेदार स्वत्वधारी नहीं हुआ बल्कि स्वत्व शासन का होता है। तथा विवादित भूमि पर अपीलार्थी/वादीगण का कोई वास्तविक कब्जा नहीं रहा है और साक्ष्य से भी केहरसिंह और उसके पुत्रों का कब्जा पाया गया है। जो वाद कारण बताया है वह भी काल्पनिक है क्योंकि तिली की फसल बरसात के सीजन में होती है, दीपावली के समय उसे काटा जाता है और जिस सीमांकन के दस्तावेजों के आधार पर वादीगण कब्जा बताते हैं। उसका आवेदन लक्ष्मण द्वारा दिया गया था जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। तथा जिस पट्टे के आधार पर वादी/अपीलार्थीगण ने सहायता चाही है वह पट्टे निरस्त हो चुके हैं। कलैक्टर भिण्ड द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर पट्टे निरस्त किये गये थे। जो आयुक्त चंबल संभाग द्वारा भी पुष्ट किये गये हैं। तथा दोनों भूमियाँ अलग-अलग हैं। और अपीलार्थी/वादीगण द्वारा शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है जैसे कि उन्होंने अपने दावे में संशोधन द्वारा अभिवचन किये थे। प्रकरण में मूल पट्टे भी पेश नहीं किये गये हैं इसलिये उनके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होगी और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है इसलिये अपील सव्यय निरस्त की जावे।

17. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का परिशीलन किया गया। आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी/वादीगण में सिरनाम के पुत्र रामलखन और छविराम तथा रामलखन की पत्नी गंगाबाई की ओर से दिनांक 11. 12.03 को सर्वे क्रमांक-135 रकवा 0.34 है0 एवं सर्वे क्रमांक-386 रकवा 0.20 है0

स्थित ग्राम सर्वा तहसील गोहद की भूमि पट्टे पर दिये जाने के आधार पर स्वामित्व व आधिपत्यधारी होने की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा कब्जा कास्त के विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा उनकी फसल को नष्ट कर देने पर से वाद कारण उत्पन्न होना तथा दिनांक 10.08.06 को तिली की फसल नष्ट करने की धमकी पर से उत्पन्न होना बताया है और केहरसिंह को बाद में संशोधन द्वारा पक्षकार बनाया गया है। शासन के विरुद्ध उनके द्वारा कोई सहायता नहीं चाही गई है जबकि स्वयं को शासकीय पट्टेदार कहा गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-157 में भूमिस्वामी को परिभाषित किया गया है और उक्त संहिता की धारा-182 में शासकीय पट्टेदार को परिभाषित किया गया है।

18. अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई हैं और विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहाँ उभयपक्ष की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है वहाँ संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। इसलिये हस्तगत अपील में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री के संबंध में अपील ज्ञापन में जो आक्षेप किये गये हैं और जो आधार लिये गये हैं, उन्हें विधिक संदर्भ में विश्लेषित करना होगा कि क्या वे स्वीकार योग्य हैं अथवा नहीं।

19. अभिलेख पर जो वादी/अपीलार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य पेश की गई है, उसमें वादी/अपीलार्थी छविराम वा0सा0-1 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा रामस्वरूप वा0सा0-2 और रामनिवास वा0सा0-3 के रूप में परीक्षित कराये हैं। प्रतिवादी क0-3 व 4 की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उसमें स्वयं प्रतिवादी क0-3 भजनलाल प्र0सा0-1 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा अतरसिंह प्र0सा0-2 और बलवंतसिंह प्र0सा0-3 के रूप में परीक्षित हुए हैं। प्रतिवादी क0-7 केहरसिंह की ओर से पृथक साक्ष्य दी गई है जिसमें स्वयं केहरसिंह प्र0सा0-4 और झापट खॉ प्र0सा0-5 व जौरासिंह प्र0सा0-6 के कथन कराये गये हैं। तथा वादी/अपीलार्थीगण की ओर से प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-12 के दस्तावेज तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी0-1 लगायत प्र0डी0-15 के दस्तावेज पेश किये गये हैं। इन सभी पर विचार करने के उपरान्त निष्कर्ष निकालने होंगे।

20. छविराम वा0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में मूलतः यह बताया है कि जिस भूमि के संबंध में उसने दावा किया है वह दो बीघा चौदह विस्वा है जो शासन द्वारा पट्टे पर दी गई थी और मौके पर उन्हें कब्जा दिया गया था। कब्जे के समय सीमा चिन्ह लगाये गये थे तभी से वह काबिज कास्त चले आ रहे हैं किन्तु प्रतिवादीगण उन्हें खेती नहीं करने देते हैं और फसल नष्ट कर देते हैं। तथा दिनांक 10.06.06 को उनके द्वारा बोई गई तिली की फसल को नष्ट करने की धमकी दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। जिस पर से दावा उनके द्वारा विधिवत धारा-80 सीपीसी का नोटिस देते हुए पेश किया है। काबिज कास्त और पट्टाधारी होने का समर्थन वादी/अपीलार्थीगण के साक्षी रामस्वरूप वा0सा0-2, रामनिवास

वा0सा0-3 ने भी अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में किया है और यह भी कहा है कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है न कब्जा है। तथा वा0सा0-2 व वा0सा0-3 को यह जानकारी नहीं है कि वादीगण को पट्टा कब हुआ था। वे पट्टा सर्वे क्रमांक-135 की भूमि का बताते हैं। सर्वे क्रमांक-3066/3 की भूमि का पट्टा होने से इन्कार करते हैं।

21. प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से जो साक्ष्य दी गई है उसमें प्र0सा0-1 लगायत प्र0सा0-6 ने मूलतः इस आशय की साक्ष्य दी है कि वादीगण को विवादित भूमि का कोई पट्टा नहीं हुआ न उनका कभी कोई कब्जा रहा है न उन्होंने वादीगण की कोई फसल उजाड़ी है बल्कि दावा पूर्व करीब 30 साल से अधिक समय से विवादित भूमि पर उनका शासन व अन्य की जानकारी में खुले रूप से कब्जा है और वह खेती कर रहे हैं। अतरसिंह, बलवंतसिंह, झापटखॉ, और जौरासिंह, केहरसिंह व उनके लडकों का काबिज कास्त होना बताया है। अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य है उसमें प्र0पी0-3 के रूप में अपीलार्थी/वादीगण के सर्वे क्रमांक-135 व 386 की भूमि की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका भाग-1 को पेश किया है तथा सीमांकन के संबंध में राजस्व निरीक्षक के नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद को दिये सीमांकन प्रतिवेदन प्र0पी0-4, उसका पंचनामा प्र0पी0-5, नजरी नक्शा प्र0पी0-6 को पेश किया है जिसके प्रतिवेदन में पक्षकारों के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही पर हस्ताक्षर से इन्कार किया गया है।

22. अपीलार्थी/वादीगण के सर्वाधिक महत्व का दस्तावेज प्र0पी0-7 का भूमि बंटन का आदेश दिनांक 14.11.02 तहसीलदार वृत्त एण्डोरी का है जिसे कलैक्टर भिण्ड द्वारा प्र0डी0-1 के आदेश से स्वमेव निगरानी में लेते हुए निरस्त किया गया है तथा प्र0डी0-14 एवं प्र0डी0-15 के आदेश कलैक्टर के निगरानी आदेश के विरुद्ध की गई आयुक्त चंबल संभाग के निगरानी आदेश हैं जिनमें कलैक्टर के निगरानी आदेश को यथावत रखा गया है। उक्त आदेशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही वादीगण या अन्य किसी के द्वारा किया जाना प्रकट नहीं हुआ है इसलिये वह आदेश अंतिम हो गये हैं। प्र0डी0-8 के रूप में कलैक्टर भिण्ड का एस0डी0ओ0 गोहद एवं तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के संबंध में प्रतिवेदन आहूत किया गया था और उसके आधार पर भूमि बंटन के प्रकरण का परीक्षण किया गया था जिसमें कलैक्टर द्वारा भूमि बंटन कार्यवाही में अनियमितता पाते हुए मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 क्रमांक-3 की कण्डिका-30 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी में मामले को लेते हुए निगरानी पंजीबद्ध की गई थी जिससे प्र0पी0-10 का विनिमय संबंधी आदेश समाप्त हो जाना परिलक्षित होता है।

23. प्र0पी0-10 के संबंध में गुरुचरण आदि के द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग को की गई अपील के आदेश प्र0पी0-11 को पेश किया गया है जिसमें गुरुचरण की अपील को अवश्य निरस्त किया गया था। किन्तु उससे पट्टे बहाली की उपधारणा नहीं की जा सकती है। क्योंकि अंतिम आदेश प्र0पी0-14 व 15 के

आदेश हैं। ऐसे में जिस पट्टे के आधार पर वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा अपील की गई है वह वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है। प्र०डी०-२ के मुताबिक सर्वे नंबर-3066/3 रकवा 0.65 का पट्टा होना प्रकट होता है और प्र०डी०-२ की कण्डिका-6 में यह शर्त अधिरोपित है कि भूमि बंटन नियमों के अधीन किसी राजस्व अधिकारी द्वारा दिये गये ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है। उक्त कण्डिका धारा 257 एम०पी०एल०आर०सी० 1959 के आधार पर अंकित है। किन्तु उसका इस प्रकरण में इसलिये प्रभाव नहीं होगा कि वादी/अपीलार्थीगण ने पट्टे के तहत वैध आधिपत्यधारी व काबिज कास्त होना बताते हुए दावा किया है जिसका प्रमाण भार उन्हीं पर है।

24. यह सही है कि शासकीय पट्टेदार को स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और प्र०पी०-३ की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका में भी भूमि अहस्तांतरणीय अंकित की गई थी। अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य है उसमें प्र०डी०-14 व 15 अंतिम आदेश हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही राजस्व मण्डल ग्वालियर में होना प्रकट नहीं होती है। ऐसे में पट्टों के अस्तित्व में न होने से वादीगण के आधार को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-13, 16 में जो पट्टे के संबंध में निष्कर्ष निकाले हैं उन्हें विधि विरुद्ध और तथ्यों के विपरीत होना नहीं माना जा सकता है।

25. यह सही है कि विधि कब्जे का सम्मान करती है इसलिये कब्जे की स्थिति के संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य है उसमें वादी/अपीलार्थीगण की ओर से पेश की गई मौखिक साक्ष्य में वादीगण को पट्टे के तहत कब्जाधारी बताया गया है जबकि इस संबंध में स्वयं छविराम वा०सा०-1 ने पैरा-10 में यह स्वीकार किया है कि भजनलाल और रंजीतसिंह ने सर्वे नंबर-135 पर कब्जा कर रखा है और उन्हें हटाये जाने के संबंध में तहसील में कार्यवाही हुई थी। पैरा-10 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि सर्वे नंबर-135 के संबंध में गुरुचरण, केहरसिंह, कृपालसिंह ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की थी जिससे संबंधित प्र०डी०-२ व 3 के दस्तावेज भी पेश किये गये हैं। प्रतिवादीगण के अनुसार रामलखन, छविराम, गीताबाई का पट्टा सर्वे नंबर-3066/3 की भूमि के संबंध में हुआ था जिसके संबंध में वादीगण के कथन स्पष्ट नहीं हैं। किन्तु जो प्र०पी०-10 का दस्तावेज उन्होंने पेश किया है उसमें जिस चरनोई भूमि का विनिमय स्वीकार किया गया उसमें सर्वे नंबर-3066/3 भी अन्य भूमियों के साथ है।

26. कब्जे के संबंध में केहरसिंह का प्रतिदावा भी किया गया था जिसके संबंध में उसने मौखिक साक्ष्य भी दी। और वा०सा०-1 के पैरा-10 व 12 में आई स्वीकारोक्ति से मौके पर केहरसिंह और उसके पुत्रों भजनलाल, जीतसिंह व बलवंतसिंह का उल्लेख है। और प्र०सा०-1 लगायत 6 की साक्ष्य में भी उनके कब्जेधारी होने की पुष्टि की गई है। केहरसिंह प्र०सा०-4 ने अपने अभिसाक्ष्य के

पैरा-2 में यह कहा गया है कि उसका 30-32 साल से कब्जा है लेकिन वह अतिक्रमण नहीं समझता है। उसकी खेती हो रही है और अपनी समझकर ही खेती कर रहा है। सरकारी जमीन होने से वह इन्कार करता है। ऐसे में अभिलेख पर कब्जे के संबंध में जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है वह वादी/अपीलार्थीगण के वजाय प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के आधार को प्रबलता प्रदान करता है जिससे मौके पर वास्तविक कब्जेधारी वादी/अपीलार्थीगण का होना कतई परिलक्षित नहीं होता है इसलिये जो वाद कारण दर्शाया है और जो स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है उसके भी वादी/अपीलार्थीगण विधिक रूप से अधिकारी होना परिलक्षित नहीं होते हैं क्योंकि उनका पट्टा भी प्रकरण में अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर केहरसिंह का कब्जा निर्णीत करने और चूंकि विवादित भूमि शासकीय भूमि है, इसलिये शासन को वैधानिक कार्यवाही कर उसे बेदखल करने की अधिकारिता होने के संबंध में जो निष्कर्ष आलोच्य निर्णय व डिक्री के मुताबिक निकाला है, उसे भी अनुचित व अवैध नहीं माना जा सकता है। शासन द्वारा कब्जा हटाने की कोई कार्यवाही किया जाना नहीं बताया गया है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी कब्जे के बिन्दु पर महत्व रखता है कि तिली की फसल बरसात में बोई जाती है और दीपावली के समय उसे काटा जाता है। ऐसे में वादी/अपीलार्थीगण जो वाद कारण तिली की फसल उजाड़ने पर से बताते हैं, वह भी स्वाभाविक नहीं है। इससे भी उनके वास्तविक कब्जे में होने के तथ्य को बल प्राप्त नहीं होता है। और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी केहरसिंह व उसके पुत्रों का विवादित भूमि पर स्वत्व न होने से वादीगण के आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

27. स्वयं छविराम वा0सा0-1 ने पैरा-6 में यह भी स्वीकार किया है कि पट्टा निरस्त होने के संबंध में उन्होंने कमिश्नर के यहाँ अपील पेश की थी फिर उसने स्वतः में यह कहा कि पट्टा निरस्ती के आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसने नहीं की बल्कि प्रतिवादीगण ने की है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पट्टा निरस्त हुआ है और पट्टा निरस्ती की वादी/अपीलार्थीगण को जानकारी है। तथा उनके द्वारा पट्टा निरस्ती के संबंध में हुई कार्यवाही में भाग भी लिया गया है। रामनिवास वा0सा0-3 के द्वारा भी पैरा-5 में यह कहा गया है कि उसके सामने मौके पर किसी भी अधिकारी के द्वारा कब्जा दिलाने की कार्यवाही नहीं हुई है इससे भी वादीगण के वास्तविक कब्जे में होने का खण्डन होता है।

28. जहाँ तक यह प्रश्न है कि पट्टा निरस्ती का अधिकार किसे है, इस संबंध में राजस्व मण्डल के न्याय दृष्टांत **फूलसिंह विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2005 आर0एन0 पेज-23** में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा-182 एम0पी0एल0आर0सी0 1959 के मुताबिक राजस्व पुस्तक परिपत्र के अधीन पट्टे के माध्यम से सरकारी भूमि आवंटित होने पर ऐसे पट्टे को केवल कलैक्टर निरस्त कर सकता है। और विचाराधीन मामले में कलैक्टर भिण्ड ने भूमि बंटन के प्रकरण

को स्वमेव निगरानी में लेकर पट्टे निरस्त किये गये हैं।

29. इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 03.02.11 में जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में लिये गये आधार व उठाये गये बिन्दु पट्टे के अस्तित्व में न होने से और उनके कब्जे में न होने से कोई महत्व नहीं रखते हैं इसलिये अपील वाद विचार सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है। और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.11 की पुष्टि की जाती है।

30. प्रकरण में उत्पन्न परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसका अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

दिनांक— **01.04.2015**

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड